

13/10/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकांक्षी  
हाजिर नहीं हैं। पत्रावली दिनांक  
18-08-2022 से तलबी में विचारधीन  
है। वकील शर्मा द्वारा तलबी नहीं  
करवायी जा सकी है। मूल वाद  
अहम छात्रों व तलबी अकादमी में  
खारिज किया जा चुका है। अतः  
पत्रावली में अग्रे कार्यवाही अंतिम  
है। अतः शर्मा-प्र पत्रावली बाबत  
अस्थायी निवेधाना (न.प्र) अंतर्गत  
0-9, R-3 CPC व 0-9, R-5 CPC के  
तहत एनडू द्वारा खारिज की गयी  
है। पत्रावली फौजल सुनार लेकर  
गंवार से कम की जाकर दाखिल  
फौजल है। अदालत खुले न्यायालय  
में सुनाया जाकर गैर हस्ताक्षर  
व न्यायालय मुद्रा से जारी किया  
गया।

सहायक कलेक्टर  
सांभर लोक (जयपुर)

